# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

## अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/684

1. नागर मल मीणा पुत्र स्व0 श्री मालीराम मीणा उम्र 67 वर्ष जाति मीणा निवासी मुकाम गॉवडी, तहसील–नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना हाल जिला सीकर। (राजस्थान)

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–नीमकाथाना जिला–नीमकाथाना (राजस्थान)
2. फूलचन्द मीणा पुत्र स्व0 श्री भगूताराम मीणा, उम्र–62 वर्ष हाल निवासी भांकरोटा बस स्टेण्ड से 150 मीटर की दूरी पर, अजमेर रोड, जयपुर (राजस्थान)।
3. दामोदर मीणा पुत्र स्व0 श्री भगूताराम मीणा, उम्र–60 वर्ष
4. नरेश मीणा पुत्र स्व0 भगूतराम मीणा, उम्र–50 वर्ष
5. सुनिल उर्फ पूरया मीणा पुत्र स्व0 श्री मदनलाल मीणा, उम्र–37 वर्ष
6. ख्यालीराम पुत्र स्व0 श्री मदनलाल मीणा, उम्र–35 वर्ष
   जातियान–मीणा, निवासीगण ( 3 ता 6) मुकाम पोस्ट गॉवडी, तहसील नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना हाल जिला सीकर। (राजस्थान)
7. श्रीमती मन्जू देवी पुत्री स्व0 श्री मदन लाल मीणा पत्नी श्री विनोद कुमार उम्र–40 वर्ष, जाति मीणा निवासी गॉवडी, तहसील नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना हाल निवासी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के पीछे, ग्राउण्ड के पास, मानसरोवर कॉलोनी, नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना हाल जिला सीकर। (राजस्थान)
8. श्रीमती सन्तरा देवी पुत्री स्व0 श्री भगूताराम मीणा पत्नी श्री तोफान मीणा, उम्र–74 वर्ष, जाति–मीणा, हाल निवासी भांकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर (राजस्थान)
9. श्रीमती कमला पुत्री स्व0 स्व0 श्री भगूताराम मीणा पत्नी श्री तोफान मीणा, उम्र–66 वर्ष, जाति–मीणा, निवासी–पांचूडाला, वाया–पावटा, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर (राजस्थान)
10. श्रीमती लाली देवी पुत्री स्व0 श्री भगूताराम मीणा पत्नी श्री सुरज्ञान मीणा, उम्र–54 वर्ष, जाति–मीणा, निवासी बाडीजोडी तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)
11. श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी स्व0 श्री राजकुमार, उम्र–51 वर्ष
12. विक्रम पुत्र स्व0 श्री राजकुमार, उम्र–26 वर्ष
13. विकास पुत्र स्व0 श्री राजकुमार, उम्र–20 वर्ष
    निवासी (11 ता 13) मुकाम पोस्ट गॉवडी, तहसील–नीमकाथाना, जिला–नीमकाथान(राजस्थान)
14. श्रीमती निक्की पत्नी श्री कमलेश मीणा, पुत्री स्व0 श्री राजकुमार उम्र–24 वर्ष, जातियान–मीणा, हाल निवासी न्यौराणा पोस्ट डोकन तहसील–नीमकाथान, जिला–नीमकाथाना हाल जिला सीकर। (राजस्थान)
15. श्रीमती चिंकी पत्नी श्री सुरेन्द्र मीणा पुत्री स्व0 श्री राजकुमार, उम्र–22 वर्ष हाल निवासी–मुकाम पोस्ट गॉवडी, तहसील–नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना (राजस्थान)
16. बालकिशन पुत्र श्री मक्खन लाल मीणा, उम्र–76 वर्ष
17. कैलाश पुत्र श्री मक्खन लाल मीणा, उम्र–73 वर्ष
18. सुभाष पुत्र श्री मक्खन लाल मीणा, उम्र–67 वर्ष
19. दीदार पुत्र श्री मक्खन लाल मीणा, उम्र–52 वर्ष
20. रवीदत्त पुत्र श्री मक्खन लाल मीणा, उम्र–76 वर्ष
21. नवीन पुत्र श्री मक्खन लाल मीणा, उम्र–52 वर्ष
22. देशराज पुत्र श्री मक्खन लाल मीणा, उम्र–76 वर्ष

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निवासीगण–(मृतक खातेदार गैंदी देवी के पुत्रगण( (16 से 22) नूनिया का नांगल, वाया चौधरी का नांगल, तहसील–नारनौल, जिला–महेन्द्रगढ (हरियाणा)

–रेस्पोडेन्टस्

23. छगन मीणा पुत्र स्व0 श्री मालीराम मीणा, उम्र–76 वर्ष
24. रोहतान मीणा पुत्र स्व0 श्री मालीराम मीणा, उम्र–73 वर्ष
25. श्रीराम मीणा पुत्र स्व0 श्री मालीराम मीणा, उम्र–61 वर्ष
26. सुभाष मीणा पुत्र स्व0 श्री मालीराम मीणा, उम्र–55 वर्ष
जातियान–मीणा निवासीगण–मुकाम पोस्ट गॉवडी, तहसील–नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना हाल जिला सीकर। (राजस्थान)

– तरतीबी रेस्पोडेन्ट (23 से 26)

**अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 22.11.1961, (22.11.1962) का 19–ए काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया, द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) के खिलाफ अपीलार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा–75 के तहत अपील माननीय अपीलीय न्यायालय जिलाधीश, नीमकाथाना के यहॉ बउनवानी नागर मीणा बनाम राजस्थान सरकार वगै0, अपील संख्या 76/2023 प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 10.10.2024 को खारिज की गई, पीठासीन अधिकारी श्री शरद मेहरा, आई.ए.एस**

उपस्थित :–

1. श्री आर.सी. नागर, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से ।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री हरलाल सिंह, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 15 की ओर से।
4. श्री मुकेश योगी,, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 6 से 8, 10 की ओर से उपस्थित।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 16 से 26 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक–17.10.2025

1. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्ट नागर मल मीणा पुत्र स्व0 श्री मालीराम मीणा ने न्यायालय जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर के समक्ष अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 20 ग्राम गावडी तहसील नीमकाथाना जिला नीमकाथाना द्वारा स्वीकृत दिनांक 22.11.961, (22.11.1962) की अपील दिनांक 21.06.2022 को प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीम का थाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2024 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि अपील लगभग 62 वर्ष बाद पेश की गई है। अपीलान्टस द्वारा प्रार्थना पत्र के सलंग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश कर अंकित किया है कि नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) ग्राम गांवड़ी की जानकारी प्रथम बार अपीलार्थीगण को दिनांक 02.05.2022 को हुई जबकि अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाईयों के हक में विरासत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 679 दिनांक 02.10.1977 को दर्ज हुआ था। उसके बाद नामान्तरकरण संख्या 1402 दिनांक 21.06.1989 तस्दीक कराया गया था। इस प्रकार अपीलार्थीगण को लगभग 62 वर्ष बाद दिनांक 02.05.2022 को नामान्तरकरण की जानकारी होने का कोई ठोस आधार नहीं है अर्थात अपील में अंकित मियाद बिन्दू के तथ्य सन्तोषप्रद नहीं है। मियाद बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर लागु नहीं होती है। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस के जवाब में यह अंकित कर स्वीकार किया गया कि राजस्व ग्राम गावड़ी के खसरा नम्बर 552 का रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा में से खसरा नम्बर 552 का प्रथम वर्तमान नया खसरा नम्बर 1062/1 का रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी (1.75 हैक्टेयर) (1/2 हिस्सा) रामकुंवार के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है, का अपील में विवाद नहीं है बल्कि उक्त खसरा नम्बर 552 का द्वितीय वर्तमान नया खसरा नम्बर 1062/2 का रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी (1.75 हैक्टेयर)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(1/2 हिस्सा) विवादित है जबकि अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाईयों के हक में उक्त खसरा नम्बर 552 का नामान्तरकरण संख्या 679 दिनांक 02.10.1977 को विरासत के आधार पर नामान्तरकरण कर दर्ज हुआ था। उसके बाद नामान्तरकरण संख्या 1402 दिनांक 21.06.1989 तस्दीक कराया गया था परन्तु अपीलार्थीगण द्वारा इससे पूर्व कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार लगभग 62 वर्ष पूर्व भरा गया नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) ग्राम गांवड़ी तहसील व जिला नीम का थाना जो समाविष्ट हो चुका है, को अपीलार्थीगण द्वारा दी गई चुनौती स्वीकार योग्य होने के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. जिला कलक्टर नीम का थाना के निर्णय दिनांक 10.10.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स नागर मल मीणा पुत्र स्व0 श्री मालीराम मीणा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर के निर्णय दिनांक 10.10.2024 को निरस्त करने तथा अपीलांट्स की ओर से उनके यहां प्रस्तुत की गई प्रथम अपील संख्या 76/2023 उनवानी नागरमल मीणा बनाम राजस्थान सरकार वगै0 स्वीकार की जाकर उक्त अपील में चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांकित 22.11.1961, (22.11.1962) द्वारा स्वीकृत तहसीलदार नीम का थाना को निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि नामान्तकरण संख्या 20, दिनांक 22.11,1961 का राजस्व अभिलेख के विपरीत एवम् कमिश्नर महोदय, अजमेर द्वारा आज्ञा पारित किये बिना, फर्जी व कपटपूर्वक टिप्पणी करते हुये अमलदरामद किये जाने के कारण एवम् माननीय प्रथम अपील न्यायालय का आदेश दिनांक .10.2024 का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात्, विधि विरूद्ध एवम् न्यायिक दृष्टान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मीमो ऑफ अपील के साथ जरिए फर्द प्रस्तुत दस्तावेजात् दिनांक 02.05.2022 प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र में वर्णित दस्तावेजात् उपलब्ध ना कराने का कारण पुश्त पर टिप्पणी दर्ज की गई है, इसी प्रकार 10.05.2022 प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र में वर्णित दस्तावेजात् उपलब्ध ना कराने का कारण पुश्त पर दर्ज टिप्पणी से तथा सम्भागीय आयुक्त अजमेर, सम्भाग अजमेर के लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 10.06.2022 को दी गई सूचना, जिसमें "कार्यालय सम्भागीय आयुक्त अजमेर की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी।" जिसे प्राईमा फैशाई व एक्स फैशाई साबित है कि विवादित नामान्तकरण संख्या–20, दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) का कपटपूर्वक अवैध तरीके से दर्ज किया गया है, जिस पर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना विवादित आदेश दिनांक 10.10.2024 को पारित किया है। अपीलार्थी की ओर से अपनी अपील के समर्थन में भू–प्रबन्ध सैटलमेन्ट विभाग राजस्थान राज्य की बन्दोबस्त (जमाबन्दी) प्रस्तुत की, जिसमें विवादित खसरा नम्बर–552 का रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा अपीलार्थी के ताऊ रामकुवार के नाम दर्ज होते हुए, रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 15 के पूर्वज भगूता के तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–16 ता 22 के पूर्वज मांगू के नाम कैसे हस्तान्तरित हुई, रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 22 ने साबित नहीं किया, ना ही स्पष्टीकरण विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, फिर भी विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को निरस्त करने का आदेश दिनांक 10.10.2024 को पारित किया है। विवादित नामान्तकरण संख्या–20, दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से प्राईमा फैसाई व एक्स फैसाई साबित है कि उक्त नामान्तकरण कपटपूर्वक व अवैध रूप से दर्ज किया है, जिसको कभी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसी आशय से माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान के न्यायिक दृष्टान्त 1996 आर.आर.डी. 457 प्रस्तुत किया, जिस पर विचार किये बिना विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय दिनांक 10.10.2024 को विवादित नामान्तकरण संख्या–20, दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) को निरस्त ना कर अपीलार्थी की अपील निरस्त करते हुये आदेश दिनांक 10.10.2024 को पारित किया गया है, जो कि निरस्तनीय है। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान ने न्यायिक दृष्टान्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

1997 आर.बी.जे. (4) 182 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि तहसीलदार, सबटेनेंट अथवा टेनेंट को खातेदारी की पुष्टि नहीं कर सकता है। मामला हाजा में विवादित खसरा नम्बर–552 जिसका दुसरा नया खसरा नम्बर–1062/2 का रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी की रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 22 के नाम राजस्व अभिलेख से कतई साबित नहीं है, फिर भी संख्या–20, दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) के तहसीलदार महोदय ने रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 22 के पूर्वज भगूता व मांगू की नाजायज खातेदारी की पुष्टि करने की नियत से अवैध रूप से व सम्भागीय आयुक्त अजमेर की फर्जी आज्ञा के आधार पर विवादित नामान्तकरण संख्या–20, दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) को राजस्व अभिलेख में दर्ज किया है, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त को नजरअंदाज कर विवादित आदेश दिनांक 10.10.2024 को पारित किया है। धारा–17 अवधि अधिनिमय 1963 को पूर्णतया अनदेखी की है। अपीलार्थी को प्रथम बार दिनांक 10.06.2022 सम्भागीय आयुक्त अजमेर के पत्र कमांक–6294 के जरिए जानकारी होने से अन्दर मियाद 30 दिन विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी, फिर भी 62 वर्ष बाद अपील मानते हुये विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 10.10.2024 को आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 552 में अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या–23 ता 26 के पिता माला उर्फ मालीराम व ताऊ रामकुंवार के नाम राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज था, जिसमें से रामकुंवार पुत्र गुल्ला के नाम 1/4 हिस्सा व 1/4 हिस्सा मालीराम पुत्र गुल्ला का था। मालीराम का इन्तकाल हो जाने पर मालीराम के वारिस अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या–23 ता 26 के नाम नामान्तकरण संख्या 679 दिनांक 02.10.1977 को दर्ज किया है, इसी प्रकार रामकुंवार का इन्तकाल हो जाने पर रामकुंवार के वारिस के नाम नामान्तकरण संख्या–467 (1402) दिनांक 21.06.1989 को दर्ज किया है। उस दिन तक अपीलार्थी को नामान्तकरण संख्या–20, दिनांक का 22.11.1961 (22.11.1962) किस आधार पर व किस आज्ञा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 22 के नाम दर्ज किया जाने की कतई जानकारी नहीं थी, इसलिए नामान्तकरण संख्या 679 व 467 (1402) में नामान्तकरण संख्या–20, दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) मर्ज होने का सिद्धान्त लागू नहीं होता है, क्योंकि नामान्तकरण संख्या–679 व 467 (1402) दर्ज करते समय या इससे पहले विवादित नामान्तकरण संख्या–20, दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) पर किसी भी सक्षम अधिकारी अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निष्कर्ष अथवा टिका–टिप्पणी नहीं की है, फिर भी विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने डॉक्टरीन ऑफ मर्जर के सिद्धान्त पर अपीलार्थी की प्रथम अपील दिनांक 10.10.2024 को खारिज किये जाने के आदेश पारित किये है। अपीलार्थी की ओर से मीमो ऑफ अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम, 1963 का जवाब रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 22 ने प्रस्तुत कर खण्डन नहीं किया है. फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 22 को लाभ पहुंचाने की नियत से धारा–17 अवधि अधिनियम के प्रावधान को नजरअंदाज करते हुये विवादित आदेश दिनांक 10.10.2024 को पारित किया गया है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील के खण्डन में मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 5 ने लिखित बहस प्रस्तुत की है. जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 22 के पूर्वज भगूता व मांगू की खातेदारी साबित नहीं हो जाती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 22 के पूर्वज को खसरा नम्बर–552 के रकबा में से खातेदारी कब व कैसे अर्जित हुई, इस आशय का पत्रावली पर कतई राजस्व अभिलेख नहीं है, फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कल्पना, अवधारणा व अनुमान के आधार पर नामान्तकरण संख्या–20. दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) को सही मानते हुये अपीलार्थी की अपील दिनांक 10.10.2024 को निरस्त कर ना केवल प्रलेख्य भूल की है, बल्कि कानूनी भूल की है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस व न्यायिक दृष्टान्तों का प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने विवादित आदेश दिनांक 10.10.2024 में उल्लेख किया है, लेकिन लिखित बहस एवम् न्यायिक दृष्टान्तों पर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचार किये बिना विवादित आदेश दिनांक 10.10.2024 को पारित किया गया है। अपीलार्थी की ओर से मीमो ऑफ अपील के साथ संलग्न दस्तावेज जो फर्द के जरिए प्रस्तुत किये जिससे अपीलार्थी को विवादित नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) की फर्जी व कपटपूर्वक होने की प्रथम बार जानकारी हुई, उक्त दस्तावेज पर किसी प्रकार से प्रथम अपीलीय न्यायालय को संदेह था तो अपने मातहत अधिकारी से वास्तविकता की जाँच करवाया जा सकता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

था। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 22 भी उक्त दस्तावेज के खण्डन में सम्बन्धित विभाग से वास्तविकता की जानकारी कर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को स्वतंत्र थे, इसके बावजूद भी अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के जरिए विवादित नामान्तकरण संख्या–20 दिनांक 22.11.1961 की (22.11.1962) का अवैध व कपटपूर्वक की प्रथम बार जानकारी दिनांक 10.06.2022 को होने का विश्वास नहीं करते हुये विवादित आदेश दिनांक 10.10.2024 को पारित किये हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने अपनी लिखित बहस के साथ दस्तावेजात् नामान्तकरण संख्या–679 व 467 (1402) मामला हाजा में निहित विवाद से असुसंगत है, जिससे अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में निहित विवाद पर कतई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है, इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 5 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में निहित विवाद मामला हाजा के निहित विवाद से असुसंगत है। फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त दस्तावेजात् व न्यायिक दृष्टान्तों पर विश्वास करते हुये विवादित आदेश दिनांक 10.10.2024 को पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान प्रथम अपीलीलय न्यायालय के आदेश दिनांक 10.10.2024 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या–20, दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 15 व 16 ता 22 के नाम दर्ज खातेदारी समाप्त कर उक्त खसरा नम्बर–552 का रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा में से वर्तमान नया खसरा नम्बर–1062/2 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांशी (1.75 हैक्टेयर) सम्पूर्ण की संयुक्त एवम् पृथक–पृथक अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या–23 ता 26 के नाम राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाया जाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना हाल जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2024 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 15 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलान्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय हाजा के समक्ष आधारहीन अपील 62 वर्ष बाद महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को छिपाकर नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 22.11.1961 के बाबत प्रस्तुत की गई थी। अपीलार्थी के पिता स्व० माला उर्फ मालीराम ने कभी भी अपने जीवनकाल में अपीलाधीन नामान्तरकरण बाबत कोई आपत्ति नही की थी। तद्परान्त अपीलार्थी के पिता माला उर्फ मालीराम का स्वर्गवास होने पर अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाईयों के हक में अपीलार्थी स्वयं ने नामान्तरकरण संख्या 679 दिनांक 02.10.1977 को तस्दीक कराया। उसके आधार पर अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के हक में विरासत के आधार पर खातेदारी दर्ज करा ली गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाई दिनांक 02.10.1977 से बहैसियत खातेदार पुराने खसरा नम्बर 552 में 1/4 हिस्से के ही खातेदार चले आए है तथा कभी कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की नामान्तरकरण संख्या 679 दिनांक 02.10.1977 बाबत अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाईयों ने नहीं की थी। अपीलार्थी स्वयं 1987 में बैंक मैनेजर के पद पर छावनी नीमकाथाना में ही सेवारत रहा है तथा अपीलार्थी सन् 2017 मे सेवानिवृत हो गया था। जमाबन्दी में नए सेटलमेन्ट के बाद बने नए खसरा नम्बर 1062 रकबा 1.75 हैक्टेयर जरिए नए नामान्तरकरण संख्या 235 को भी छिपाया है इस प्रकार यह अपील कानूनन चलने योग्य नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 679 दिनांक 02.10.1977 का लाभ अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के सभी भाई प्राप्त करते आए है। इस प्रकार भूमि पुराने खसरा नम्बर 552 ग्राम गांवडी बाबत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 22.11.1961 का पृथक अस्तित्व ही नहीं रहा है तथा अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाईयों द्वारा तस्दीक कराया गया। नामान्तरकरण संख्या 679 दिनांक 02.10.1977 में समाविष्ट हो चुका। अपीलार्थी ने बदनियति पूर्वक वास्तविकता छिपाकर आधारहीन अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलार्थी ने मैमो ऑफ अपील में इसी भूमि बाबत तस्दीक हुए नामान्तरकरण संख्या 1402 दिनांका 21.06.1989 को भी छिपाया है। इस प्रकार से अपील अपीलार्थी आधारहीन होने के साथ–साथ पूर्णतया मियाद बाहर है। अन्तिम रूप से नामान्तरकरण संख्या 2351 दिनांक 26.04.2012 में पहले के सभी नामान्तरकरण मर्ज हो गए जमाबन्दी 2067–70 से स्पष्ट है। अपीलार्थी ने नए सेटलमेन्ट आने पर उक्त भूमि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बाबत नए खसरा नम्बर बनाए जाने एवं खातेदारी पृथक–पृथक कराये जाने की स्थिति को भी बदनियति पूर्वक छिपाया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही के जरिए अपीलार्थी को कोई भी अधिकार हक पृथक से निर्णित कराने का नहीं है। यदि कोई आपत्ति अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 22.11.1961 बाबत होती तो अपीलार्थी के पिता माला उर्फ मालीराम करते तथा अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाई स्वयं के नाम से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 679 दिनांक 02.10.1977 को तस्दीक नहीं कराते तथा उसके बाद नामान्तरकरण संख्या 1402 दिनांक 21.06.1989 को तस्दीक होने पर उनके विरूद्ध अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र थे। अब बदनियति पूर्वक आधाररहीन अपील धारा 191(1) ए राज.टेनेन्सी एक्ट जिसका लाभ स्वयं अपीलार्थी को मिला है, को 62 वर्ष बाद नामान्तरकरण की अपील के जरिए किसी भी प्रकार से चेलेंज करने का अपीलार्थी को स्वयं के हक में तस्दीक कराए गए नामान्तरकरण संख्या 679 दिनांक 02.10.1977 को छिपाकर कोई अधिकार नही है। मैमो ऑफ अपील में धारा 19 (1) (ए) राज. टेनेन्सी एक्ट के जरिए शिकमी काश्तकारों को खातेदार दर्ज किए जाने के सक्षम अधिकारों को 62 वर्ष बाद नामान्तरकरण को अपील की माध्यम से चेलेंज नहीं किया जा सकता है। मैमो ऑफ अपील में 1961 में राज. राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी को नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा पारित शिकमी काश्तकारों को खातेदार दर्ज करने के आदेश को 62 वर्ष बाद काल्पनिक नही माना जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 से 114 के अनुसार प्रत्येक राजकीय दस्तावेज 30 वर्ष पुराना स्वयं ही सत्य माना जाता है। यदि अपीलार्थी को कोई आपत्ति होती तो अपीलार्थी अपने हक में नामान्तरकरण 679 दिनांक 02.10.1977 तस्दीक नही कराता। अपील अपीलार्थी लगभग 62 वर्षों के बाद की गयी है। इतने लम्बे समय को यदि कण्डोन कर प्रार्थी की दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाता है तो उक्त अधिनियम नगण्य रह जायेगा। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथनों को समर्थन मिलता हो। अपीलान्टस/प्रार्थी को मियाद का लाभ दिया जाना न्यायालय की दृष्टि में उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्टस मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने के अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये हैं। न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2024 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 22.11.1961(22.11.1962) राजस्व ग्राम गांवडी तहसील नीमकाथाना के नामान्तकरण को लेकर है। प्रकरण में हाल अपीलान्ट नागरमल मीणा पुत्र स्व0 मालीराम मीणा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 22.11.1961, (22.11.1962) के विरूद्ध अपील दिनांक 21.06.2022 को प्रस्तुत की गयी थी। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स ने लगभग 62 वर्षों के बाद नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील में सलंग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश कर अंकित किया है कि नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) ग्राम गांवड़ी की जानकारी प्रथम बार अपीलार्थीगण को दिनांक 02.05.2022 को हुई जबकि अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाईयों के हक में विरासत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 679 दिनांक 02.10.1977 को दर्ज हुआ था। उसके बाद नामान्तरकरण संख्या 1402 दिनांक 21.06.1989 तस्दीक कराया गया था। इस प्रकार अपीलार्थीगण को लगभग 62 वर्ष बाद दिनांक 02.05.2022 को नामान्तरकरण की जानकारी होने का कोई ठोस आधार नहीं दिये गये है अर्थात अपील में अंकित मियाद बिन्दू के तथ्य सन्तोषप्रद नहीं दिये गये है। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब को क्षमा किए जाने हेतु जो भी युक्तियुक्त एवं वास्तविक कारण है, का विस्तृत उल्लेख आवेदन में करना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्ट कारण अंकित हीं नहीं किया गया है कि जिसकी वजह से उनका प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जा सके। वास्तविकता में विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील प्रस्तुत करने हेतु नियत समयावधि के पश्चात हुए विलम्ब के लिए प्रत्येक दिन के विलम्ब को स्पष्ट रूप से अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया जाना आवश्यक है, किंतु फिर भी अपीलार्थी द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया है कि जिसकी वजह से 62 वर्ष की अवधि के विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है। अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथनों को समर्थन मिलता हो। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना में लिखित बहस के जवाब में यह अंकित कर स्वीकार किया गया कि राजस्व ग्राम गावड़ी के खसरा नम्बर 552 का रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा में से खसरा नम्बर 552 का प्रथम वर्तमान नया खसरा नम्बर 1062/1 का रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी (1.75 हैक्टेयर) (1/2 हिस्सा) रामकुंवार के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है, का अपील में विवाद नहीं है बल्कि उक्त खसरा नम्बर 552 का द्वितीय वर्तमान नया खसरा नम्बर 1062/2 का रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी (1.75 हैक्टेयर) (1/2 हिस्सा) विवादित है जबकि अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाईयों के हक में उक्त खसरा नम्बर 552 का नामान्तरकरण संख्या 679 दिनांक 02.10.1977 को विरासत के आधार पर नामान्तरकरण कर दर्ज हुआ था। उसके बाद नामान्तरकरण संख्या 1402 दिनांक 21.06.1989 तस्दीक कराया गया था परन्तु अपीलार्थीगण द्वारा इससे पूर्व कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार लगभग 62 वर्ष पूर्व भरा गया नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 22.11.1961 (22.11.1962) ग्राम गांवड़ी तहसील व जिला नीम का थाना जो समाविष्ट हो चुका है, को अपीलार्थीगण द्वारा दी गई चुनौती स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2024 पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर नीमकाथाना हाल जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2024 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

**अतः आदेश है** कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना हाल जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2024 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 17.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर